विहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग--२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार तिथि १ जुलाई, १९८१।

विषय सूची।

	पृष्ठ।
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में घोषणा ...	१
शून्यकाल की चर्चाएं :	
लोकदल के कार्यकर्त्ता द्वारा श्री उपेन्द्र शर्मा की गुण्डों द्वारा हत्या।	१-२
मिनी बस का दुर्घटनाग्रस्त होना ...	२-३
प्रशिक्षित एप्रेन्टिस द्वारा आमरण अनशन ...	३
जाले प्रखंड के लगनामा पुल का नहीं बनाना ...	३
लकड़ी का अवैध रुप से काटा जाना ...	४-५
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :	
बी० एन० कालेज छात्रावास में विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना एवं छात्र को छत से फेंक दिया जाना।	५—१०
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
बछवाड़ा प्रखंड के प्रमुख श्री त्रिपित नारायण चौधरी की हत्या।	१०-११
१९८१-८२ वर्ष के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (क्रमशः)	११
अध्यक्षीय घोषणा :	
श्री शत्रुघ्न शरण सिंह एवं श्री अब्दुल गफूर, स० वि० स० द्वारा दल परिवर्त्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	
१९८१-८२ वर्ष के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (क्रमशः)	
निवेदन	९४
दैनिक निबन्ध	

टिप्पणी--जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) के चिन्ह लगा दिये गये हैं।

लकड़ी का अवैध रूप से काटा जाना

*श्री अर्जुन राम—गावा रेंज गिरीडीह में प्रति दिन ३० ट्रक लकड़ी अवैध रुप से काट कर जाली पासींग मार्का देकर आपूर्त्ति की जाती है श्री एस० एम० याकुब, कूप अधीक्षक एवं राज कुमार चौधरी, ब० र०, ने २० जून, १९८१ को जाली पासींग मार्का के दो ट्रक ने बी० आर० एम० ४८५५ एवं बी० आर० वाई० १८२८ को जब्त किया है। वहां के संभ्रान्त व्यक्तियों ने श्री मुनि लाल मुर्मू के नाम पर श्रमिक सहयोग समिति बनाकर ठीका लिया है जिसकी जानकारी श्री मुर्मू को भी नहीं है। प्रति वर्ष लाखों रुपये की लकड़ी का अवैध व्यापार चल रहा है जिससे सरकार को काफी क्षति उठानी पड़ रही है एवं आदिवासी को बदनाम किया जा रहा है। अतः सरकार इस अवैध व्यापार करने वाले के विरुद्ध कारवाई करे।

*श्री मुंगी लाल राय—अध्यक्ष महोदय, बदलाघाट दुर्घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस पर स्पेशल डिबेट नहीं करेंगे.....

अध्यक्ष—इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल के एडजार्नमेंट मोशन में यह सबजेक्ट था।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं एक पृथक निवेदन करना चाहता हूं। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें विरोधी दल के सभी नेता उपस्थित थे और मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस सवाल को मैंने उठाया था, चूंकि मर गये हैं बिहार के लोग, तीन हजार से ज्यादा मर गये हैं, इसलिये यह कहकर कि यह रेलवे मंत्रणालय का प्रश्न है, इसे टाला नहीं जाना चाहिये। मेरा कहना है, जिससे आप भी सहमत थे कल, इस पर विशेष वाद-विवाद होना चाहिये।

अध्यक्ष—माननीय विरोधी दल के नेता, बहुत अफसोस इस बात का है, जो डिसक्शन वहां हुआ, जिसका हवाला आप दे रहे हैं, उस हवाला में यह तय हुआ था कि बदलाघाट दुर्घटना न कहा जाय इसमें जो मरे हैं और इसकी क्षति पूर्त्ति के बारे में विशेष वाद-विवाद किया जाय। एडजार्नमेंट मोशन में शब्द है 'दुर्घटना', हमारे पास जो विषय है वह है दुर्घटना, कल हमने इसे रिजेक्ट कर दिया है और इसकी पुनरावृत्ति अभी हो रही है। क्या बात हुई, क्या कथन हुये यह आप जानते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—कल आपने एडजार्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया। आपका आदेश शिरोधार्य है, एडजार्नमेंट मोशन की मैं बात नहीं कह रहा हूं। हम चाह रहे हैं ....

अध्यक्ष—हमारी क्या सहानुभूति थी वह आप जानते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—इस सहानुभूति को आप अमली जामा पहना दीजिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामपरीक्षण साह—नियम ११८ के अनुसार हमने बदलाघाट के ऊपर विशेष चर्चा के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। आप तो और मामला को सुलझा रहे हैं।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण तथा उनपर सरकारी वक्तव्य :

बी० एन० कॉलेज छात्रावास में विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना एवं छात्र को छत से फेंक दिया जाना

श्री जयप्रकाश नारायण यादव—दिनांक १ मई, १९८१ को १२ बजे रात्रि में सिनेमा देखकर लौटते हुए इन्जिनीयरिंग कॉलेज, पटना के दो विद्यार्थियों को एक टेम्पू चालक से वकझक हो गया। टेम्पू चालक ने पुलिस को बेबुनियाद सूचना दी और पुलिस ने उन दो विद्यार्थियों को बिना स्थिति को जाने गिरफ्तार कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छात्रों का एक समूह जिलाधिकारी से मिला और मांग की कि संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए और सिनेमा हॉल को अविलम्ब बन्द किया जाए। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने विद्यार्थियों पर उत्तेजना की अवस्था में भड़काने की कार्रवाई की और विद्यार्थियों को बी० एन० कॉलेज, पटना के होस्टल में घुस कर बेरहमी से पीटा और उनके सामान लूट लिए। इतना ही नहीं, पुलिस ने न सिर्फ विद्यार्थियों को पीटा बल्कि उन पर १५ राउन्ड गोलियां चलायीं तथा होस्टल की छत से एक विद्यार्थी को नीचे फेंक दिया जिससे उनकी जान चली गयी। इसमें सौ से अधिक घायल हुए। दो घंटे तक तलाशी के बावजूद जब बी० एन० कॉलेज होस्टल में कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस और जिला प्रशासन खासकर जिलाधिकारी ने गलत मुकदमा करने की कोशिश की।